

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान  
रूड़की

सं. 6/31/त0पु0यो0/राजसं

दिनांक: मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदी में तकनीकी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना - वर्ष 2017

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की द्वारा हिंदी में तकनीकी पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय जल जागरूकता पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 के दौरान प्रकाशित तकनीकी पुस्तकें आमंत्रित की जानी हैं। इस योजना के तहत पुस्तकों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में बर्गीकृत किया गया है :-

- प्रथम श्रेणी - मौलिक रूप से हिंदी में प्रकाशित तकनीकी पुस्तकें
- द्वितीय श्रेणी - हिंदी में प्रकाशित अनूदित तकनीकी पुस्तकें

पुरस्कार योजना हेतु स्वीकार्य पुस्तकों के विषय :

- (क) जलविज्ञान
- (ख) जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जल
- (ग) जल के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग
- (घ) कृषि, वन, पर्यावरण के क्षेत्र में जल की भूमिका

पुरस्कार राशि

(प्रथम श्रेणी के अंतर्गत)

- प्रथम - 50,000/-रु0 एवं स्मृति चिह्न
- द्वितीय - 30,000/-रु0 एवं स्मृति चिह्न
- तृतीय - 20,000/-रु0 एवं स्मृति चिह्न

(द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत)

- प्रथम - 50,000/- रु0 एवं स्मृति चिह्न
- द्वितीय - 30,000/- रु0 एवं स्मृति चिह्न
- तृतीय - 20,000/- रु0 एवं स्मृति चिह्न

## पात्रता एवं सामान्य शर्तें

- (1) भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है ।
- (2) एक लेखक एक से अधिक प्रविष्टियां भी भेज सकता है । पुस्तक में एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में पुरस्कार राशि प्रथम लेखक को प्रदान की जाएगी । सह-लेखकों को पुरस्कार राशि के वितरण की जिम्मेवारी समिति की न होकर प्रथम लेखक की होगी।
- (3) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी ।
- (4) उपर्युक्त विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की को दी जाए ।
- (5) योजना के अंतर्गत कलैन्डर वर्ष के दौरान प्रकाशित पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं। पुस्तक का विषय किसी पी.एच.डी. शोध के लिए शामिल न किया गया हो।
- (6) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे ।
- (7) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ (कम से कम 50 हजार शब्द) की होनी चाहिए। इसमें फोटोग्राफ एवं संदर्भों के पृष्ठ शामिल नहीं होंगे ।
- (8) पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करने पर केवल तृतीय श्रेणी (वातानुकूलित) (3 AC) का रेल किराया दिया जाएगा ।
- (9) पुरस्कृत लेखक तीन वर्षों के उपरांत ही इस योजना में पुनः भाग ले सकते हैं।
- (10) यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पुस्तक किसी अन्य पुस्तक/लेखों आदि से अनूदित, इनसे नकल की गई नहीं होनी चाहिए । यदि ऐसा पाया गया तो पुस्तक स्वीकार नहीं की जाएगी और यदि पुरस्कार देने के बाद ऐसा पाया गया तो संस्थान को पूरा अधिकार होगा कि वह पुरस्कार की धनराशि लेखक से वापिस ले । ऐसे विवाद का न्यायिक निपटान रुड़की क्षेत्र में होगा ।
- (11) ऐसी पुस्तकें जो किसी पाठ्यक्रम के लिए या किसी भी सरकारी विभाग/एजेंसी से प्राप्त अनुदान/सहायता से लिखी/प्रकाशित की गई हो, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- (12) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

### प्रविष्टियां भेजने की विधि

- (i) प्रविष्टियां संलग्नक-क में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यतः पूरे भरे हुए) के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार्य नहीं किया जाएगा ।
- (ii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की 02 प्रतियां भेजी जाएं । पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी ।
- (iii) प्रथम लेखक अपनी प्रविष्टियां दिनांक **15 अप्रैल, 2020** तक अवश्य भिजवा दें । इस तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

### पुरस्कार संबंधी घोषणा

- (i) पुरस्कार संबंधी निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।
- (ii) पुरस्कार वितरण राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि पर किया जाएगा ।

### सामान्य

- ★ पुरस्कार के लिए पुस्तक के मूल्यांकन के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा ।
- ★ योजना के बारे में सूचना राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान की वेबसाइट [www.nihroorkee.gov.in](http://www.nihroorkee.gov.in) पर भी उपलब्ध है ।
- ★ इस योजना में पांडुलिपि (हस्तलिखित अथवा टंकित) पर विचार नहीं किया जाएगा । अतः प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी ।

### प्रविष्टि भेजने का पता :

निदेशक

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान

जलविज्ञान भवन, रुड़की- 247 667

(उत्तराखंड)

## हिंदी में तकनीकी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना - वर्ष 2017

1. पुस्तक का नाम (हिंदी में) .....
- (अंग्रेजी में) .....
2. पुस्तक का विषय : (क) (ख) (ग) (घ)
3. (i) लेखक/सह-लेखक का पूरा नाम (हिंदी में) .....
- (अंग्रेजी में) .....
- (ii) पूरा पता (पिन कोड सहित) .....
- .....
- (iii) दूरभाष ..... फैक्स सं. ....
- (iv) मोबाइल फोन नं. ....
- (v) ई-मेल .....
4. (i) प्रकाशक का नाम .....
- (ii) प्रकाशक का पूरा पता .....
- (iii) प्रकाशन का वर्ष .....
5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
6. (क) आधार नं. ....

(ख) आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते संबंधी निम्न विवरण अनिवार्य रूप से दें :-

(खाता सं. प्रथम लेखक का ही होना चाहिए)

(i) बैंक शाखा का पता : .....

(ii) बैंक खाता सं. ....

(iii) आई.एफ.एस. कोड .....

7. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि

(i) मैं ..... पुत्र/पुत्री ..... भारतीय नागरिक हूँ।

(ii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से लिखी/अनूदित की गई है।

(iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपी राइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूंगा/करूंगी।

स्थान :

लेखक/सह-लेखक के हस्ताक्षर

दिनांक :